संख्या–सा–3–1718 /दस–2011

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय/विधान सभा /विधान परिषद,
उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3–महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
5–निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
6–निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
7–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 20 दिसम्बर, 2011

विषयः– नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा नयी पेंशन योजना लागू की गयी है तथा अधिसूचना संख्या–सा–3–470/दस–2005–301(9)/2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस योजना से आच्छादित कर्मचारीगण सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता नहीं ग्रहण करेंगे।

2– नयी पेंशन योजना के अधीन, सामान्य भविष्य निधि के समानान्तर व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार से जिज्ञासायें की जा रही हैं ।

3– इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पेंशन योजना में दो प्रकार के खाते होंगे–

(I) टियर–I खाता–जो पूर्णतया पेंशन हेतु होगा तथा अनिवार्य होगा। इस खाते में जमा धनराशि का निष्कासन सेवानिवृत्ति के पूर्व नहीं किया जा सकेगा। सेवानिवृत्त होने पर, इस खाते में जमा धनराशि के 60 प्रतिशत अंश का एक मुश्त भुगतान कर्मचारी/उसके आश्रितों को किया जायेगा एवं शेष 40 प्रतिशत अंश का निवेश केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त जीवन बीमा कंपनी की वार्षिकी का क्रय करने में किया जायेगा जिससे कर्मचारी/उसके आश्रितों के लिये पेंशन की व्यवस्था होगी। सवानिवृत्ति के पूर्व ही टियर–I खाता छोड़ने पर अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश जमा राशि का 80 प्रतिशत होगा।

(II)टियर–II खाता–जो वैकल्पिक होगा तथा जिसमें कर्मचारी स्वेच्छा से अंशदान कर सकेगा एवं आवश्यकतानुसार इस खाते से धन का निष्कासन भी कर सकेगा। इस खाते में सरकार/नियोक्ता द्वारा अंशदान नहीं किया जायेगा, तथा खाते में जमा राशि का निवेश पेंशन के प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा।

4– नयी पेंशन योजना के कियान्वयन हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सी0आर0ए0) के रूप में अनुबन्धित किया गया है। निधियों के प्रबंधन हेतु बैंक ऑफ इण्डिया, ट्रस्टी बैंक, तथा भारतीय स्टेट बैंक, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया एवं भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन निधि प्रबन्धक(पी0एफ0एम0) के रूप में नियुक्त हैं।

5– टियर–।। खाता एन0एस0डी0एल0 के स्थानीय अभिकर्ता, जिन्हें पॉइण्ट्स आफ प्रीजेन्स (पी0ओ0पी0) कहा गया है, में खाता खोला जाना होगा, तथा इस खाते में कर्मचारियों द्वारा स्वयं धनराशि जमा करायी जानी होगी। टियर–।। खाते में धनराशि जमा किये जाने के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। कर्मचारी अपनी सुविधा एवं विवेकानुसार इस खाते में स्वेच्छ से धनराशि जमा करेगा।

टियर–।। खाते का प्रबन्धन तथा संचालन एन0एस0डी0एल0 तथा पेंशन निधि प्रबन्धकों द्वारा, केन्द्र सरकार की संस्था– पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार, किया जायेगा। टियर–।। खाते से किये गये निवेश पर अर्जित आय भी टियर–।। खाते में जमा की जायेगी।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–1718(1)/दस–2011/301(9)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2–अपर निदेशक, वित्तीय साख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
3–संगरत मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
4–श्री एन0 आर0 रायलू, चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर, एन0पी0एस0 ट्रस्ट, नई दिल्ली।
5–श्री चद्रशेखर तिलक, एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसीडेन्ट, एन0एस0डी0एल0, मुम्बई।
6–श्री कमल चौधरी, चीफ जनरल मैनेजर, पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली।
7–श्री पुष्कल उपाध्याय, चीफ जनरल मैनेजर, पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव

पी0एस0यू0पी ए0पी0 75 सा0 वित्त–23–12–2011–(1397)–3000 + 2 प्रतियां (आफसेट)।